



# म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्रमांक B34/A म.प्र.नि.वि.वि.आयोग,भोपाल

दिनांक 10/08/2018

## //आदेश//

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013,2016 की धारा 9(क)(ख) में दिये गये प्रावधानों के अध्याधीन गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन, आयोग की 134 वीं बैठक दिनांक 10/08/2018 के एजेण्डा क्रमांक (134)-4(IV) से लिए गये निर्णय तथा संबन्धित विश्वविद्यालयों द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर स्थापित सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बालाघाट परिसर में संचालित निम्नलिखित संस्थानों को निजी विश्वविद्यालय की संगठक इकाईयों के रूप में स्थापित किये जाने हेतु अनुज्ञा इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि विश्वविद्यालय उपरोक्त नये विभागों/पाठ्यक्रमों के संचालन में मानक संस्थाओं, केन्द्रीय एवं राज्य शासन एवं मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013,2016 में प्रावधानों का पूर्ण पालन करेगा :-

Existing college/ Institutes in the campus proposed as constituent units of the University (As per M.P. Private University (Sthapana avam Sanchalan) act 2007 as amended 2013, 16 (9B))

| S. No. | Name of the existing college/ Institutes                              | Name of the proposed School          | Departments  | Course   | Intake  |
|--------|---|--------------------------------------|--|--|---|
| 01.    | Sardar Patel College of Technology & Sardar Patel Polytechnic College | School of Engineering and Technology | <ul style="list-style-type: none"><li>Department of Civil Engg.</li><li>Department of Mechanical Engg.</li><li>Department of Comp. Science &amp; Engg.</li><li>Department of Electronics &amp; Comm. Engg.</li><li>Department of Mining Engg.</li><li>Department of Electrical Engg.</li></ul> | <b>B.TECH. (Existing)</b><br>1. Civil Engg.<br>2. Mechanical Engg.<br>3. CSE<br>4. ECE<br><b>B.TECH. (Proposed)</b><br>1. Mining Engg.<br>2. Elect. & Electronics Engg.<br><b>Polytechnic (Existing)</b><br>1. Civil Engg.<br>2. Mining & Mine Surveying Engg.<br>3. Mechanical Engg.<br>4. Electrical Engg.<br>5. Computer Science & Engg.<br><b>Polytechnic (Proposed)</b><br>1. Automobile Engg.<br>2. Fire & Fire Safety Engg.<br><b>M. Tech (Proposed)</b><br>1. Structural Engg. | 60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>120<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>18 |

|     |                                  |   |   |   |                |
|-----|----------------------------------|---|---|---|----------------|
|     |                                  |   |   | 2. Industrial Mgt. Engg.<br>3. Computer Sc. & Engg.<br>4. Digital Communication Engg.<br><br><b>Ph.D. – As per availability of Seat</b> | 18<br>18<br>18 |
| 02. | Vindhya Shiksha Samiti College   | School of Education                         | • Department of Education   | <b>B.Ed. (Existing)</b>   | 100            |
| 03. | Sardar Patel College of Pharmacy | School of Pharmaceutical Science & Research | • Department of Pharmaceutics<br>• Department of Pharmaceutical Chem.<br>• Department of HAP<br>• Department of Pharmacognosy | <b>D. Pharm (Existing)</b>  | 60             |

### New Departments:

| S. No. | Name of the School   | Departments  | Courses (Proposed)  | Intake |
|--------|----------------------|--|---|--------|
| i.     | School of Science    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Department of Physics</li> <li>• Department of Chemistry</li> <li>• Department of Mathematics</li> <li>• Department of Geology</li> <li>• Department of Life Science               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bio-Technology</li> <li>2. Micro-Biology</li> <li>3. Botany</li> <li>4. Zoology</li> </ol> </li> </ul> | <b>Bachelor of Science</b><br>B.Sc. Physics, Chemistry, Mathematics 240<br>B.Sc. Physics, Computer Science, Mathematics 180<br>B.Sc. Botony, Zoology, Chemistry 240<br>B.Sc. Zoology, Bio-tech., Chemistry 180<br>B.Sc. Botony, Micro-Biology., Chemistry 180<br>B.Sc. Geology, Chemistry, Physics 90<br>B.Sc. Geology, Chemistry, Mathematics 90<br><b>Master of Science</b><br>M.Sc. Physics 60<br>M.Sc. Mathematics 60<br>M.Sc. Chemistry 60<br>M.Sc. Zoology 60<br>M.Sc. Botony 60<br>M.Sc. Bio-Technology 60<br>M.Sc. Micro-Biology 60<br>M.Sc. Geology 60<br>M.Sc. Computer Science 60<br><b>M. Phil. – As per availability of Seat</b><br><b>Ph.D. - As per availability of Seat</b> |        |
| ii.    | School of Commerce   | • Department of Commerce   | B.Com. 280<br>B.Com.(Computer Application) 120<br>M.Com. 120<br><b>M. Phil. – As per availability of Seat</b><br><b>Ph.D. - As per availability of Seat</b>   |        |
| iii.   | School of Management | • Department of Management   | BBA Hons 120<br>MBA Human Resource 60<br>MBA Marketing 60<br>MBA Finance 60<br><b>M. Phil. – As per availability of Seat</b><br><b>Ph.D. - As per availability of Seat</b>  |        |

|       |  |  |  |   |
|-------|--|--|--|---|
| iv..  | School of Agriculture Science, Technology & Research | <ul style="list-style-type: none"> <li>Department of Agriculture</li> <li>Department of Horticulture</li> <li>Department of Food Technology</li> </ul> | B.Sc.(Hons) Agriculture<br>B.Sc.(Hons) Horticulture<br>B. Tech. (Hons) Agricultural Engg.<br>B. Tech Food Technology<br>Diploma in Agriculture   | 300<br>60<br>60<br>60<br>120  |
| v.    | School of Computer Science & Application             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Department of Computer Science and Application</li> </ul>   | BCA<br>MCA<br>DCA<br>PGDCA   | 120<br>60<br>300<br>300   |
| vi..  | School of Arts & Social Science                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Department of Arts</li> <li>Department of Social Science</li> </ul>   | <b>Bachelor of Art</b><br>B.A. (Economics, Political Science, Sociology)<br>B.A. (English Lit., Economics, Geography)<br>B.A. (Economics, Political Science, Sociology)<br>B.A. (Geography, Hindi Lit., Sociology)<br>B.A. (Hindi Lit., Political Science, Sociology)<br>B.A. (History, Sanskrit, Sociology)<br>B.A. (Sanskrit, Political Science, Sociology)<br><b>Master of Art</b><br>M.A. (Economics)<br>M.A. (English Lit.)<br>M.A. (Political Science)<br>M.A. (Sociology)<br>M.A. (History)<br>M.A. (Hindi Lit.)<br>M.A. (Sanskrit)<br>M.A. (Geography)<br><b>Social Science</b><br>BSW<br>MSW<br><b>M. Phil.</b> – As per availability of Seat<br><b>Ph.D.</b> - As per availability of Seat | 100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>120<br>120 |
| vii.  | School of Library & Information Science              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Department of Library &amp; Information Science</li> </ul>  | B. Lib.<br>M. Lib.   | 60<br>60  |
| viii. | School of Media & Journalism                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Department of Media &amp; Journalism</li> </ul>   | BJMC<br>MJMC   | 120<br>120  |
| ix.   | School of Fashion Design & Technology                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Department of Fashion Design &amp; Technology</li> </ul>  | B.Sc. (Fashion Design)<br>Diploma in Fashion Design  | 60<br>120   |
| x.    | School of Music & Drama                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Department of Music &amp; Drama</li> </ul>  | B.A. (Music)<br>Diploma in Music   | 60<br>120   |
| xi.   | School of Home Science                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Department of Music &amp; Drama</li> </ul>  | B.H.Sc.<br>M.H.Sc.   | 60<br>60  |
| xii.  | School of Fine Art                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Department of Fine Art</li> </ul>   | B.F.A.   | 60  |
| xiii. | School of Yoga                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Department of Yoga</li> </ul>   | Diploma in Yoga<br>PG Diploma in Yoga  | 120<br>120  |

सचिव 10.8.18

पृष्ठकंन क्रमांक. 834/B..म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल

दिनांक : 10/8/2018

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष, विन्ध्य शिक्षा समिति, सरदार पटेल कैम्पस, गायखुरी, बालाघाट (म.प्र.)

सचिव 10/8/18



# म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क. 86

//आदेश//

दिनांक 14/01/2020

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013,2016 की धारा 9(ख) में दिये गये प्रावधानों के अध्याधीन गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन, आयोग की 153 वीं बैठक दिनांक 24/12/2019 के एजेण्डा क्रमांक (153)-4 में लिए गये निर्णय के आधार पर सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बालाघाट परिसर में संचालित संघटक ईकायों में प्रस्तावित निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित सीट संख्या अनुसार प्रारम्भ करने हेतु अनुज्ञा इस शर्त के अध्याधीन प्रदान की जाती है कि विश्वविद्यालय उक्त पाठ्यक्रमों का संचालन केन्द्रीय एवं राज्य की विनियामक संस्थाओं, राज्य शासन एवं मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथा संशोधित 2013,2016 के प्रावधानों के अनुसार करेगा :-

### New Programmes :

| S.No | Course                             | Intake        | Permission by Regulatory Body | Date       | Ord. NO |
|------|------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|---------|
| 1    | ** LLB                             | 120           | Bar Council                   | 30/12/2019 | 40      |
| 2    | ** BALLB                           | 120           | Bar Council                   | 30/12/2019 | 41      |
| 3    | ** LLM                             | 60            | UGC                           | 30/12/2019 | 44      |
| 4    | B.Pharmacy                         | 60            | PCI                           | 30/6/2019  | 55      |
| 5    | B.Tech. (Fire & Safety)            | 120           | UGC                           | ---        | 10      |
| 6    | D.El.Ed.                           | 50            | NCTE                          | 16/8/2012  | 20      |
| 7    | MA (Education)                     | 180           | UGC                           | ---        | 34      |
| 8    | B.Pharmacy                         | 60            | PCI                           | 23/10/2006 | 55      |
| 9    | M.Pharm (Pharmaceutics)            | 15 Per Branch | UGC                           | 25/06/2019 | 56      |
|      | M.Pharm (Pharmaceutical Chemistry) |               |                               |            |         |
|      | M.Pharm (Pharmacology)             |               |                               |            |         |
| 10   | ** D.El.Ed.                        | 50            | NCTE                          | 13/1/2009  | 20      |
| 11   | ** B.Ed.                           | 100           | NCTE                          | 07/03/2017 | 17      |
| 12   | ** B.Ed. Part Time                 | 50            | NCTE                          | 01/02/2018 | 18      |
| 13   | ** M.Ed.                           | 50            | NCTE                          | 18/05/2015 | 19      |

नोट:- \*\* उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश की कार्यवाही विनियामक संस्थाओं से अनुमति/पता परिवर्तन की सहमति उपरांत ही करना सुनिश्चित करें।

पृष्ठांकन क्रमांक...87... म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/भोपाल

प्रतिलिपि:-कुलसचिव, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, गायखुरी, बालाघाट (म.प्र.)

दिनांक : 14/1/2020

सचिव  
सचिव

**RECEIVED**  
DATE- 14/01/2020  
SR. NO. 35  
REGISTRAR  
SARDAR PATEL UNIVERSITY  
BALAGHAT (M.P.)



# म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र.

कंमांक...../ म.प्र.न.वि.वि.वि.आयोग / स्थापना / भोपाल

// आदेश //

दिनांक.....  
दिनांक: 18/02/2021

संशोधित पत्र

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की 164 वीं सभा दिनांक 23/12/2020 के एजेण्डा क्रमांक (164)-6 में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बालाघाट (म.प्र.) को उनके मुख्य परिसर में स्थित शैक्षणिक विभागों/अध्ययन शालाओं में निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित सीट संख्या अनुसार शैक्षणिक सत्र 2020-21 से संचालन करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

| S.No | Course  | Intake                                   | Ordinance No. |
|------|---|--|---------------|
| 1.   | BHMS  | As per CCH                               | 49            |
| 2.   | M.Sc. Agriculture (Agronomy)                                | 60                                       | 71            |
| 3.   | M.Sc. Agriculture Horticulture (Vegetable Science)          | 30                                       | 71            |
| 4.   | M.Sc. Agriculture Horticulture (Fruit Science)              | 30                                       | 71            |
| 5.   | M.Sc. Agriculture Horticulture (Floriculture & Landscaping) | 30                                       | 71            |
| 6.   | B.Sc Nursing (4 year degree course)                         | As per State Nurses Registration Council | 52            |

शर्त :-

- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं संबन्धित विनियामक परिषदों के मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबन्धित विनियामक परिषदों की गाईडलाइन एवं अनुमति के अनुसार दिये जायेंगे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाईडलाइन / मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
- विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- स्ट्रेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही विश्वविद्यालय द्वारा (B.Sc Nursing) में प्रवेश की कार्यवाही की जाये।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नैक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।
- यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संधारित करना होगा।
- पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की गंभीर न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।
- ICAR की 6<sup>th</sup> डीन कमेटी के द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुरूप कृषि संकाय के पाठ्यक्रमों का संचालन सुनिश्चित करना होगा।
- BHMS पाठ्यक्रम में CCH की अनुमति उपरांत प्रवेश की कार्यवाही की जाये।

निरंतर.....2

18/02/2021

(2)

सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बालाघाट (म.प्र.) द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 से प्रारंभ किये जाने वाले पाठ्यक्रमों की अनुमति

(डॉ. के.पी. साहू)

सचिव

म0प्र0नि0वि0वि0वि0आयोग, भोपाल

दिनांक.../02/2021

पृष्ठांकन...../ म0प्र0नि0वि0वि0आयोग/स्थापना/ भोपाल  
प्रतिलिपि-

1. कुलसचिव, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बालाघाट (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. अध्यक्ष, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग को सूचनार्थ।
3. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी शुल्क नियतन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
6. मूल नस्ती।

सचिव

म0प्र0नि0वि0वि0वि0आयोग, भोपाल



# म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

1015/स्थापना/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/भोपाल

//आदेश//

दिनांक 14/6/22

क्र.

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की 175 वीं सभा की बैठक दिनांक 30.05.2022 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बालाघाट के मुख्य परिसर में स्थित आयुर्वेद संकाय के अंतर्गत बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम को शैक्षणिक सत्र 2021-22 से तालिका में दर्शित सीट संख्या के अनुसार आगामी शैक्षणिक सत्र से संचालन करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती हैं।

| क्र. | पाठ्यक्रम का नाम | सीट संख्या | भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली की अनुमति का आदेश क्रमांक |
|------|------------------|------------|--|
| 1.   | बी.ए.एम.एस.      | 60         | 3-5/2001-AY (53) दिनांक 17.02.2022   |

शर्तें:-

1. भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली से अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रम को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
2. उपरोक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु यू.जी.सी एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली के मापपदों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
3. उपरोक्त पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली की गाईडलाईन के अनुसार दिये जायेंगे।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली से निर्धारित की गई गाईडलाईन/मापपदों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
5. विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल के द्वारा समय - समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।
7. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक परिषदों से ग्रेडिंग/मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त कराना होगा।
8. यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित मूल्यांकन विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संधारित कराना होगा।
9. पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की गंभीर न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

(मा.अध्यक्ष महो. द्वारा अनुमोदित)

(डा. के.पी. साहू)

सचिव

म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

पृ.क्रमांक...../स्थापना/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/2021-22भोपाल

प्रतिलिपि-

1. निजी सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
2. कुलसचिव, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी शुल्क नियतन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. मूल नस्ति।
7. गाईड फाइल।

सचिव

म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल



# म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

स्थापना/म.प्र.नि.वि.वि.अयोग/भोपाल

//आदेश//

17/12/22

क्र.


मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 3 एवं 2016 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की 179 वीं सभा की बैठक दिनांक 17.11.2022 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बालाघाट के मुख्य परिसर में स्थित पैरामेडिकल संकाय के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक सत्र 2020-21 से तालिका में दर्शित सीट संख्या के अनुसार संचालन करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है।

| स. | पाठ्यक्रम का नाम                            | अध्यादेश क्रमांक | स्वीकृत सीट संख्या | कार्यालय, रजिस्ट्रार, म.प्र. सह-चिकित्सा परिषद की अनुमति क्रं. |
|----|---|------------------|--------------------|--|
| 1  | Bachelor of Physiotherapy (BPT)             | 60               | 50                 | कॉलेज/ए-21ए-पी0100/3085/2022<br>दिनांक 24.09.2022              |
| 2  | Bachelor in Medical Lab Technician (BMLT)   | 58               | 50                 |  |
| 3  | Diploma in Medical Lab Technician (DMLT)    | 57               | 50                 |  |
| 4  | Diploma in X-Ray Radiography Technician     | 57               | 50                 |  |
| 5  | Diploma in Paramedical Ophthalmic Assistant | 57               | 30                 |  |
| 6  | Certificate in ECG Technician               | 57               | 30                 |  |
| 7  | Certificate in Operation Theater Technician | 57               | 30                 |  |
| 8  | Certificate in Health Inspector             | 57               | 50                 |  |
| 9  | Certificate in X-Ray Radiography Technician | 57               | 20                 |  |
| 10 | Certificate in Anesthesia Technician        | 57               | 20                 |  |

शर्तें:-


1. म.प्र. सह-चिकित्सा परिषद से अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रम को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
2. उपरोक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु यू.जी.सी एवं म.प्र. सह-चिकित्सा परिषद के मापपदों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
3. उपरोक्त पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु म.प्र. सह-चिकित्सा परिषद की गार्डलाईन के अनुसार दिये जायेंगे
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा म.प्र. सह-चिकित्सा परिषद से निर्धारित की गई गार्डलाईन/मापपदों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
5. विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र. नि.वि.वि.अयोग, भोपाल के द्वारा समय - समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।
7. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक परिषदों से ग्रेडिंग/मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त कराना होगा।
8. यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित मूल्यांकन विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संधारित कराना होगा।

निरंतर....2

  
17/12/22

9. पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की गंभीर न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी ।

(मा.अध्यक्ष महो. द्वारा अनुमोदित)



(डां. के.पी. साहू)

सचिव

म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

पृ.क्रमांक...../स्थापना/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग/2021-22भोपाल

प्रतिलिपि-

1. निजी सहायक के माध्यम से मा. अध्यक्ष महो, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ ।
2. कुलसचिव, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बालाघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
4. प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
5. प्रभारी शुल्क नियतन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
6. मूल नस्ति ।
7. गार्ड फाइल।



सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल